

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 462(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.10.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “प्रयास किशोर सहायता केंद्र, फ्लैट नं. 1-X, ब्लॉक सं. एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली - 110033” द्वारा “प्रयास किशोर सहायता केंद्र, दिल्ली” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 03.02.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 147(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2005-06 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 238(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1987(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “प्रयास किशोर सहायता केंद्र, फ्लैट नं. 1-X, ब्लॉक सं. एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली - 110033” द्वारा चलाई जा रही “प्रयास किशोर सहायता केंद्र, दिल्ली” की परियोजना अथवा स्कीम को 324.68 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 92/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मन्मथन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)